इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 जनवरी 2013—पौष 19, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2013

क्रमांक 153-12-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 7 जनवरी, 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ५ सन् २०१३

मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, २०१२

विषय-सूची.

धाराएं:

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.

२. परिभाषाएं.

३. उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए अधिसूचना का प्रकाशन.

४. उपयोग के अधिकार के अर्जन की घोषणा.

५, भूमि में प्रवेश, सर्वे आदि करने की शक्ति.

६. राज्य सरकार या निगम द्वारा पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट बिछाया जाना.

७. भूमि के उपयोग के संबंध में निर्बंधन.

८. प्रतिकर.

९. भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट का निरीक्षण करने, उन्हें बिछाने तथा उनका संधारण करने आदि के लिए भूमि पर प्रवेश की शक्ति.

१०. पश्चात्वर्ती मरम्मत या संधारण के लिए प्रतिकर.

११. प्रतिकर का निक्षेप तथा भुगतान.

१२. कालावधि, जिसके भीतर प्रतिकर दिया जाएगा.

१३. अत्यावश्यकता की दशा में विशेष शक्तियां.

१४. सक्षम प्राधिकारी को सिविल न्यायालय की कतिपय शक्तियां होंगी.

१५. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

१६. शास्ति.

१७. नियम बनाने की शक्ति.

१८. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

१९. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ५ सन् २०१३

मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, २०१२

[दिनांक ७ जनवरी, २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक ९ जनवरी, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

जल, गैस, मल, औद्योगिक अपशिष्ट के वहन के लिए तथा विद्युत् एवम् फाइबर आप्टिक्स के पारेषण के लिए भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने तथा उससे संबद्ध तथा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, २०१२ है.

(२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है किन्तु इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (१९२७ का १६) के अधीन आरक्षित या संरक्षित वन क्षेत्रों को लागू नहीं होगी.

(३) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति या प्राधिकारी;

(ख) "निगम" से अभिप्रेत है, किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित कोई निगमित निकाय या कंपनी अध्यादेश, १९५६ (१९५६ का १) के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी;

(ग) "भूमि" से अभिप्रेत है, भू-सतह का कोई भाग;

(घ) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(ङ) "भूमि के उपयोग का अधिकार" से अभिप्रेत है, जल, गैस, मल, औद्योगिक अपशिष्ट के वहन के लिए तथा विद्युत् एवम् फाइबर आप्टिक्स के पारेषण के लिए भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट बिछाने तथा औद्योगिक अपशिष्ट के वहन के लिए भूमिगत पाइप लाइन का निर्माण तथा उनकी मरम्मत, संधारण, परीक्षण, बदलने एवम् हटाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार;

(च) "भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट" से अभिप्रेत है, भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात् ढंक दी गई पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट.

उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए अधिसूचना का प्रकाशन.

३. (१) राज्य सरकार को, जब भी यह प्रतीत हो कि जल, गैस, मल, औद्योगिक अपशिष्ट का वहन तथा विद्युत् एवम् फाइबर आप्टिक्स का एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक पारेषण करने तथा उससे संबंधित संकर्मों के लिए, जनहित में यह आवश्यक है तो राज्य सरकार अथवा किसी निगम द्वारा पाइप लाइन केबल एवम् डक्ट बिछाई जा सकेंगी और यह कि पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट बिछाए जाने के प्रयोजन के लिए किसी ऐसी भूमि में, जिसमें कि ऐसी पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट बिछाई जा सकती हों, भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना आवश्यक

है तो वह राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी.

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना में भूमि का संक्षिप्त विवरण होगा.

(३) सक्षम प्राधिकारी अधिसूचना के सारांश को कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार तथा संबधित स्थानीय निकाय के कार्यालय के सूचना पटल पर और लोक समागम वाले स्थानों पर और उस स्थान में प्रचलित दो दैनिक समाचार-पत्रों में, जिनमें से कम से कम एक हिन्दी का होगा, प्रकाशित करवाएगा.

(४) भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना की तारीख के तीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट बिछाए जाने पर आपत्ति कर सकेगा.

(५) उपधारा (४) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित में प्रस्तुत की जाएगी तथा उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे तथा सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को या तो स्वयं या किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर देगा तथा ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जैसी कि ऐसा प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आपत्ति को या तो मंजूर कर सकेगा या उसे नामंजूर कर सकेगा.

(६) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपधारा (५) के अधीन किया गया कोई आदेश अंतिम होगा.

उपयोग के अधिकार के अर्जन की घोषणा.

४. (१) जहां कि सक्षम प्राधिकारी को धारा ३ की उपधारा (४) के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की जाती हैं या जहां कि सक्षम प्राधिकारी ने तत्पश्चात् अंतिम आदेश पारित कर दिया है, वहां सक्षम प्राधिकारी, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, घोषित करेगा कि पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित कर लिए जाएं.

(२) उपधारा (१) के अधीन घोषणा के प्रकाशित हो जाने पर, उसमें विनिर्दिष्ट भूमि में, सभी विल्लंगमों से रहित उपयोग के अधिकार पूर्ण रूप से यथास्थिति राज्य सरकार या निगम में निहित हो जाएंगे.

(३) उपधारा (२) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जैसे कि वह उचित समझे, लिखित में आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगी कि पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के लिए समस्त विल्लंगमों से रहित भूमि में उपयोग के अधिकार, राज्य सरकार में निहित होने के बजाय, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट बिछाने का प्रस्ताव करने वाले निगम में निहित हो जाएंगे.

भूमि में प्रवेश, सर्वे आदि करने की शक्ति.

५. (१) धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन घोषणा का प्रकाशन हो जाने पर, राज्य सरकार या निगम द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या इसके सेवकों और कर्मकारों के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह,—

(क) अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी भूमि पर प्रवेश करे तथा सर्वेक्षण करे और उसका तल-मापन करे;

(ख) अवमृदा में खुदाई या बोर करे;

(ग) संकर्म का आशयित रेखांकन करे;

(घ) ऐसे तलों, सीमाओं तथा रेखाओं को चिन्ह् लगाकर एवम् खाईयां काटकर चिन्हांकित करे;

(ङ) जहां कि किसी अन्य प्रकार से सर्वेक्षण पूरा नहीं किया जा सकता हो तथा तल-मापन किया जा चुका हो और सीमाएं तथा रेखाएं चिन्हित की जा चुकी हों, खड़ी फसल के किसी भाग को या किसी अन्य फसल को या बाड़ को काटे और रास्ता तैयार करे; और

(च) यह पता लगाने के लिए आवश्यक सभी कृत्य करे कि क्या भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट बिछाई जा सकती है :

परन्तु इस धारा के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते समय, ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति का कोई सेवक ऐसी भूमि को उतना अल्प नुकसान या क्षति पहुंचाएगा जितना संभव हो.

राज्य सरकार या निगम द्वारा पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट बिछाया जाना.

६. (१) जहां कि धारा ४ के अधीन किसी भूमि में उपयोग का अधिकार राज्य सरकार या निगम में निहित हो गया हो, वहां,—

(एक) यथास्थिति, राज्य सरकार या निगम द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति तथा उसके सेवक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह भूमि पर प्रवेश करे तथा पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट बिछाए या पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्य करे :

परन्तु किसी ऐसी भूमि के अंदर जिसमें उससे अनुलग्न भूमि सम्मिलित है, जिस पर धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना की तारीख से ठीक पूर्व भवन का विनिर्माण कर लिया गया हो, कोई पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट नहीं बिछाई जाएगी.

(दो) ऐसी भूमि का उपयोग केवल भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट को बिछाने तथा ऐसी भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट के संधारण, परीक्षण, मरम्मत, परिवर्तन या उन्हें हटाने के लिए या किसी अन्य कृत्य के साथ-साथ उपरोक्त प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्य करने के लिए या ऐसी भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट के उपयोग के लिए किया जाएगा.

(२) यदि उपधारा (१) के खण्ड (एक) के परन्तुक में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो विवाद सक्षम प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा.

भूमि के उपयोग के संबंध में निर्बंधन.

७. (१) किसी ऐसी भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिसके संबंध में धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन घोषणा की गई है, भूमि का ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के लिए हकदार होगा जिनके कि लिए धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना की तारीख के ठीक पूर्व उसका उपयोग किया जाता था :

परन्तु ऐसा स्वामी या अधिभोगी धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन घोषणा के पश्चात् उस भूमि पर,—

(एक) किसी भवन या किसी अन्य संरचना का निर्माण नहीं करेगा;

(दो) किसी तालाब, कुंआ, जलाशय या बांध का निर्माण या उत्खनन नहीं करेगा; या

(तीन) किसी वृक्ष का रोपण नहीं करेगा.

(२) भूमि का स्वामी या अधिभोगी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट को किसी भी रीति में, चाहे वह कुछ भी हो, कोई नुकसान कारित करता हो या कारित कर सकता हो.

प्रतिकर.

८. (१) जहां धारा ५, धारा ६ या धारा ९ की शक्तियों का प्रयोग करने में भूमि में हित रखने वाले किसी व्यक्ति को कोई नुकसान, हानि या क्षति हुई है, वहां राज्य सरकार या निगम ऐसे व्यक्ति को ऐसे नुकसान, हानि या क्षति के लिए प्रतिकर देने के दायी होंगे जिसकी रकम सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रथमत: अवधारित की जाएगी. ऐसे प्रतिकर का

अवधारण करते समय, वह निम्नलिखित कारणों से होने वाले नुकसान या हानि को सम्यक् रूप से ध्यान में रखेगा—

(एक) भूमि पर से वृक्षों या खड़ी फसलों को हटाना, यदि कोई हों;

(दो) उस भूमि का, जिसके नीचे भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट बिछाई गई है, ऐसे व्यक्ति की या उसके अधिभोग में की अन्य भूमियों से अस्थाई पृथक्करण; या

(तीन) ऐसे व्यक्ति की किसी अन्य सम्पत्ति को चाहे वह चल हो या अचल, या उपार्जन को किसी अन्य रीति में कारित कोई क्षति.

(२) जहां किसी भूमि के उपयोग का अधिकार राज्य सरकार या निगम में निहित हो गया हो, वहां राज्य सरकार या निगम, यथास्थिति, उपधारा (१) के अधीन प्रतिकर के अतिरिक्त, यदि कोई है, धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख पर उस भूमि के बाजार मूल्य के विहित प्रतिशत पर संगणित प्रतिकर देने के दायी होंगे.

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "बाजार मूल्य" से अभिप्रेत है भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना तथा उनका पुनरीक्षण नियम, २००० के अधीन कलेक्टर द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित भूमि का मूल्य.

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट का निरीक्षण करने, उन्हें बिछाने तथा उनका संधारण करने आदि के लिए भूमि पर प्रवेश की शक्ति.

९. किसी भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट को बिछाने, उनका संधारण, परीक्षण, मरम्मत, परिवर्तन या हटाने के लिए अथवा उपरोक्त प्रयोजनों में से किसी के लिए माप करने या कोई निरीक्षण करने के लिए उपयोग का अधिकार अर्जित करने के पश्चात् राज्य सरकार या निगम द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी और भूमि के अधिभोगी को युक्तियुक्त सूचना देने के पश्चात्, उतने कामगारों और सहयोगियों के साथ जितने कि आवश्यक हों, उसमें प्रवेश कर सकेगा :

परंतु जहां जीवन और संपत्ति के लिए संकट की कोई आपात स्थिति विद्यमान हो वहां ऐसी सूचना आवश्यक नहीं होगी.

पश्चात्वर्ती मरम्मत या संधारण के लिए प्रतिकर.

१०. भूमिगत पाइप लाइनें, केबल एवं डक्ट बिछाए जाने के पश्चात्, जब कभी राज्य सरकार या निगम या उनके प्राधिकृत अधिकारियों को पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट की मरम्मत या उनके संधारण के लिए स्थल पर पुनः प्रवेश करना आवश्यक हो, वे खड़ी फसलों आदि को कारित हुई हानि के कारण स्वामी या अधिभोगी को ऐसा प्रतिकर देने के दायी होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाएगा.

प्रतिकर का निक्षेप तथा भुगतान.

११. (१) धारा ८ तथा धारा १० के अधीन अवधारित किए गए प्रतिकर की रकम यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा निगम द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के पक्ष में तीस दिन के भीतर और ऐसी रीति में जमा की जाएगी जैसी कि विहित की जाए.

(२) यदि प्रतिकर की रकम तीस दिन के भीतर जमा नहीं की जाती है तो यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा निगम उस पर उस तारीख से जिसको कि प्रतिकर जमा किया जाना था, उसे वास्तविक रूप से जमा कराए जाने की तारीख तक, ऐसी दर से, जो कि विहित की जाए, ब्याज देने के दायी होंगे.

(३) उपधारा (१) के अधीन प्रतिकर जमा किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, सक्षम प्राधिकारी, यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा निगम की ओर से उसके हकदार व्यक्तियों को प्रतिकर देगा.

(४) यदि प्रतिकर के प्रभाजन या अतिरिक्त प्रतिकर या उसके किसी भाग के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सक्षम प्राधिकारी विवाद को उसकी अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश को निर्दिष्ट करेगा और उस पर जिला न्यायाधीश का विनिश्चय अंतिम होगा.

कालावधि, जिसके भीतर प्रतिकर दिया जाएगा.

१२. सक्षम प्राधिकारी, धारा ८ के अधीन प्रतिकर, धारा ३ के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर देगा और यदि उक्त अवधि के भीतर कोई प्रतिकर नहीं दिया जाता है तो भूमि के उपयोग के अधिकार के अर्जन की संपूर्ण कार्यवाहियां व्यवपगत हो जाएंगी.

स्पष्टीकरण.—इस धारा में निर्दिष्ट दो वर्ष की अवधि की गणना करने में वह अवधि, जिसके कि दौरान उक्त घोषणा के अनुसरण में किसी कार्रवाई अथवा कार्यवाही को न्यायालय के किसी आदेश द्वारा स्थगित कर दिया गया हो, अपवर्जित कर दी जाएगी.

अत्यावश्यकता की दशा में विशेष शक्तियां.

१३. (१) राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाने वाली अत्यावश्यकता की दशा में सक्षम प्राधिकारी, भले ही धारा ८ के अधीन ऐसा कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया हो, धारा ३ की उपधारा (१) में वर्णित अधिसूचना के प्रकाशन से पन्द्रह दिन का अवसान होने पर, भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट को बिछाने के लिए आवश्यक भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन करने की कार्यवाही करने के लिए अग्रसर हो सकेगा :

परन्तु सक्षम प्राधिकारी इस उपधारा के अधीन, उपयोग के किसी अधिकार का अर्जन, उसके अधिभोगी को, ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम अड़तालीस घंटे या ऐसी दीर्घतर अवधि की सूचना दिए बिना, जो ऐसे अधिभोगी को ऐसी भूमि से उसकी चल सम्पत्ति को बिना अनावश्यक असुविधा के हटाने के लिए युक्तियुक्त रूप से पर्याप्त हो, नहीं करेगा.

(२) जब ऐसी भूमि की दशा में, जिस पर, राज्य सरकार की राय में उपधारा (१) के उपबंध लागू होते हैं, तो राज्य सरकार निदेशित कर सकेगी कि धारा ३ की उपधारा (४), (५) और (६) के उपबंध लागू नहीं होंगे और यदि वह ऐसा निदेश देती है तो भूमि के संबंध में, धारा ३ के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् किसी भी समय धारा ४ के अधीन घोषणा की जा सकेगी.

(३) उपधारा (१) के अधीन प्रत्येक दशा में, सक्षम प्राधिकारी, उस भूमि का, जिसमें कि भूमि के उपयोग का अधिकार अर्जित हो गया हो, आधिपत्य लेते समय, प्रभावित व्यक्तियों को, अचानक बेदखली के कारण ऐसी भूमि पर खड़ी फसल तथा वृक्षों की (यदि कोई हों) नुकसानी के लिए तथा किसी अन्य नुकसानी के लिए प्रतिकर देने का प्रस्ताव करेगा और उस दशा में, जहां कि ऐसा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो ऐसी फसलों तथा वृक्षों का मूल्य तथा ऐसे अन्य नुकसान की रकम, सुसंगत उपबंधों के अधीन भूमि के प्रतिकर का अधिनिर्णय दिए जाने में अनुज्ञात की जाएगी.

(४) उपधारा (१) के अधीन ऐसी भूमि का, जिसमें भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित हो गया हो, कब्जा लेने के पूर्व, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपधारा (३) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सक्षम प्राधिकारी, ऐसी भूमि के हितबद्ध तथा उसके हकदार व्यक्ति को यथा प्राक्कलित प्रतिकर के अस्सी प्रतिशत का भुगतान करेगा.

(५) उपधारा (४) के अधीन संदत्त या जमा की गई रकम को धारा ८ के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित प्रतिकर की रकम अवधारित करने में विचार में लिया जाएगा तथा जहां इस प्रकार संदत्त या जमा की गई रकम, धारा ८ के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्‌वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम से अधिक हो, वहां ऐसी अधिक रकम, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णय दिए जाने की तारीख से तीन माह के भीतर वापस नहीं की जाती है तो भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल की जाएगी.

सक्षम प्राधिकारी को सिविल न्यायालय की कतिपय शक्तियां होंगी.

१४. सक्षम प्राधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित मामलों के संबंध में, सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८ (१९०८ का ५) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय व्यवहार न्यायालय को प्राप्त समस्त शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर होने को विवश करना तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण तथा उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना.

सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

१५. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या जारी की गई किसी अधिसूचना के अनुसरण में सद्‌भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

शास्ति.

१६. जो कोई किसी व्यक्ति को धारा ५, धारा ६ या धारा ९ के अधीन प्राधिकृत किन्हीं कार्यों को कार्यान्वित करने में स्वेच्छापूर्वक बाधा पहुंचाता है अथवा धारा ५ के अधीन निर्मित किसी खाई या चिन्ह को स्वेच्छापूर्वक भरता है, नष्ट करता है या नुकसान पहुंचाता है या स्थान से हटाता है या धारा ६ के अधीन बिछाई गई भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट को स्वेच्छापूर्वक हटाता है, नकुसान पहुंचाता है या नष्ट करता है अथवा धारा ७ के अधीन प्रतिषिद्ध कोई कार्य स्वेच्छापूर्वक करता है तो वह साधारण कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा अथवा पांच हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा.

नियम बनाने की शक्ति. १७. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी.

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे और ऐसे उपांतरणों के अध्यधीन होंगे जो कि विधान सभा द्वारा किए जाएं.

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति. १८. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों या ऐसे निदेश दे सकेगी जैसे कि कठिनाई दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

निरसन तथा व्यावृत्ति. १९ (१) मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अध्यादेश, २०१२ (क्रमांक ७ सन् २०१२) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2013

क्र. 154-12-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 5 OF 2013

THE MADHYA PRADESH BHUMIGAT PIPE LINE CABLE EVAM DUCT (BHUMI KI UPYOKTA KE ADHIKARON KA ARJAN) ADHINIYAM, 2012

TABLE OF CONTENTS.

Sections :

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Publication of notification for acquisition of right of user.
4. Declaration of acquisition of right of user.
5. Power to enter, survey etc. in the land.
6. State Government or corporation to lay pipelines, cable and duct.
7. Restrictions regarding the use of land.
8. Compensation.
9. Power to enter land for inspection, laying, maintaining etc. of underground pipeline, cable and duct.
10. Compensation for subsequent repair or maintenance.
11. Deposit and payment of compensation.
12. Period within which compensation shall be made.
13. Special powers in case of urgency.
14. Competent Authority to have certain powers of civil court.
15. Protection of action taken in good faith.
16. Penalty.
17. Power to make rules.
18. Power to remove difficulties.
19. Repeal and saving.

MADHYA PRADESH ACT
NO. 5 OF 2013
THE MADHYA PRADESH BHUMIGAT PIPE LINE, CABLE EVAM DUCT (BHUMI KI UPYOKTA KE ADHIKARON KA ARJAN) ADHINIYAM, 2012

[Received the assent of the Governor on the 7th January, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 9th January, 2013.]

An Act to provide for the acquisition of right of user in land for laying underground pipeline, cable and duct for carrying of water, gas, sewage, industrial waste and transmission of electricity and fibre optics and for the matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-third year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent and commencement.

1.(1) This Act may be called the Madhya Pradesh Bhumigat Pipeline, Cable Evam Duct (Bhumi Ki Upyokta Ke Adhikaron Ka Arjan) Adhiniyam, 2012.

(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh but nothing contained in this Act shall apply to areas of reserved or protected forest under the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927).

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "competent authority" means any person or authority authorised by the State Government, by notification in the official Gazette, to perform the functions of the competent authority under this Act;

(b) "corporation" means any body corporate established under any Central or State Act, or a company formed and registered under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956);

(c) "land" means a portion of earth's surface;

(d) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(e) "right of user in land" means right of user in land for laying underground pipeline, cable and duct for carrying of water, gas, sewage, industrial waste and transmission of electricity and fibre optics and its repairing, maintaining, examining, altering and removing;

(f) "underground pipeline, cable and duct" means a pipeline, cable and duct laid below the surface of the land and subsequently covered.

Publication of notification for acquisition of right of user.

3.(1) Whenever it appears to the State Government it is necessary in the public interest that for the carrying of water, gas, sewage, industrial waste and transmission of electricity and fibre optics from one locality to another locality and works connected therewith, pipeline, cables and duct may be laid by the State Government or a corporation and that for the purpose of laying such pipeline, cable and duct it is necessary to acquire the right of user in any land under which such pipeline, cable and duct may be laid, it may, by notification in the official Gazette, declare its intention to acquire the right of user therein.

(2) Every notification under sub-section (1) shall give a brief description of the land.

(3) The competent authority shall cause the substance of the notification to be published on the notice board of the office of the Collector, the competent authority, the Tehsildar, the concerned local body and places of usual public gathering, and in two daily newspapers circulating in that locality of which at least one shall be in Hindi.

(4) Any person interested in the land may, within thirty days from the date of the notification under sub-section (1), object to the laying of the pipeline, cable and duct under the land.

(5) Every objection under sub-section (4) shall be made to the competent authority in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as such authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

(6) Any order made by the competent authority under sub-section (5) shall be final.

Declaration of acquisition of right of user.

4.(1) Where no objections under sub-section (4) of Section 3 have been made to the competent authority within the period specified therein or where the competent authority has passed final order thereafter the competent authority shall, by notification in the official Gazette, declare that the right of user in the land for laying the pipeline, cable and duct should be acquired.

(2) On publication of the declaration under sub-section (1), the right of user in the land specified therein shall vest absolutely in the State Government or the Corporation, as the case may be, free from all encumbrances.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the State Government may, on such terms and conditions as it may think fit, direct, by order in writing, that the right of user in the land for laying the pipelines, cable and duct shall, instead of vesting in the State Government, vest in the corporation proposing to lay the pipeline, cable and duct subject to the terms and conditions so imposed, free from all encumbrances.

Power to enter, survey etc. in the land.

5. On publication of the declaration under sub-section (1) of Section 4 it shall be lawful for any person authorised by the State Government or the corporation and his servants and workmen,—

(a) to enter upon and survey and take levels of any land specified in the notification;

(b) to dig or bore into the sub-soil;

(c) to set out the intended line of work;

(d) to mark such levels, boundaries and line by placing marks and cutting trenches;

(e) where otherwise survey cannot be completed and levels taken and the boundaries and line marked, to cut down and clear away any part of any standing crop or other growth or fencing; and

(f) to do all other acts necessary to ascertain whether pipeline, cable and duct can be laid under the land:

Provided that while exercising any power under this section, such person or any servant of such person shall cause as little damage or injury as possible to such land.

State Government or corporation to lay pipeline, cable and duct.

6. (1) Where the right of user in any land has vested in the State Government or corporation under section 4,—

(i) it shall be lawful for any person authorised by the State Government or corporation, as the case may be, and his servants to enter upon the land and lay pipeline, cable and duct or to do any other act necessary for laying of pipelines, cable and duct:

Provided that no pipeline, cable and duct shall be laid under any land on which, immediately before the date of the notification under sub-section (1) of Section 3, building has been constructed including land appurtenant to it;

(ii) such land shall be used only for laying underground pipeline, cable and duct and maintaining, examining, repairing, altering or removing any such underground pipeline, cable and duct or for along any other act necessary for any of the aforesaid purposes or for the utilization of such underground pipeline, cable and duct.

(2) If any dispute arises with regards to any matter referred to in the proviso to clause (i) of sub-section (1), the dispute shall be referred to the competent authority whose decision thereon shall be final.

Restriction regarding the use of land.

7. (1) The owner or occupier of the land with respect to which a declaration has been made under sub- section (1) of Section 4, shall be entitled to use the land for the purpose for which such land was put to use immediately before the date of the notification under sub-section (1) of Section 3:

Provided that, such owner or occupier shall not, after the declaration under sub-section (1) of Section 4,—

(i) construct any building or any other structure;
(ii) construct or excavate any tank, well, reservoir or dam; or
(iii) plant any tree,

on that land.

(2) The owner or occupier of the land shall not do any act which will or is likely to cause any damage in any manner whatsoever to the under ground pipeline, cable and duct.

Compensation.

8. (1) Where in the exercise of the powers conferred by Section 5, Section 6 or Section 9, any damage, loss or injury is sustained to any person interested in the land, the State Government or the corporation, shall be liable to pay compensation to such person for such damage, loss or injury, the amount of which shall be determined by the competent authority in the first instance. While determining such compensation, he shall have due regard to the damage or loss sustained by reason of,—

(i) the removal of trees or standing crops, if any, on the land;
(ii) the temporary severance of the land under which the underground pipeline, cable and duct has been laid from other lands belonging to, or in the occupation of, such person; or
(iii) any injury, to any other property, whether movable or immovable, or the earnings of such persons caused in any other manner.

(2) Where the right of user of any land has vested in the State Government or the corporation, the State Government or the corporation, as the case may be, shall be liable to pay, in addition to the compensation under sub-section (1), if any, compensation calculated at prescribed percentage of the market value of that land on the date of publication of the declaration under sub-section (1) of Section 4.

Explanation.—For the purpose of this sub-section "market value" means the value of land assessed according to guidelines issued by the Collector under the Madhya Pradesh Bazar Mulya Margdarshak Shiddhanton Ka Banaya Jana Tatha Unka Punirikshan Niyam, 2000 made under the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899).

Power to enter land for inspection, laying, maintaining etc. of underground pipeline, cable and duct.

9. After acquiring the right of user for laying, maintaining, examining, repairing, altering, removing any underground pipeline, cable and duct or measurement for any of the aforesaid purposes, or for carrying out any inspection, any person authorised in this behalf by the State Government or the corporation, may, after giving reasonable notice to the competent authority and occupier of the land, enter therein with such workmen and assistants as may be necessary:

Provided that where an emergency of threat to life and property exists, no such notice shall be necessary.

Compensation for subsequent repair or maintenance.

10. After laying of underground pipelines, cable and duct whenever it is necessary for the State Government or the Corporation or their authorised officers to re-enter the site for repair or maintenance of the pipeline, cable and duct they shall liable to pay such compensation to the owner or occupier due to loss caused to the standing crops etc. which may be determined by the competent authority.

Deposit and payment of compensation.

11. (1) The amount of compensation determined under section 8 and 10 shall be deposited by the State Government or the Corporation, as the case may be, with the competent authority within thirty days and in such manner as may be prescribed.

(2) If the amount of compensation is not deposited within thirty days, the State Government or the corporation, as the case may be, shall be liable to pay interest thereon at the rate as may be prescribed from the date on which the compensation had to be deposited till the date of the actual deposit.

(3) As soon as may be after the compensation has been deposited under sub-section (1), the competent authority shall, on the behalf of the State Government or the corporation, as the case may be, pay the compensation to the persons entitled thereto.

(4) If any dispute arises to the apportionment of the compensation or additional compensation or any part thereof, the competent authority shall refer the dispute to the District Judge having jurisdiction and the decision of the District Judge thereon shall be final.

Period within which compensation shall be made.

12. The competent authority shall pay compensation under section 8 within a period of two years from the date of the publication of the notification under section 3 and if no compensation is made within the said period, the entire proceeding for the acquisition of the right of user in land shall lapse.

Explanation.- In computing the period of two years referred to in this section, the period during which any action or proceeding in pursuance of the said declaration is stayed by an order of a court shall be excluded.

Special powers in case of urgency.

13. (1) In case of urgency, to be determined by the State Government, the competent authority, though no such award has been made under section 8, may, on the expiration of fifteen days from the publication of the notification mentioned in sub-section (1) of Section 3, proceed for acquisition of right of user in land needed for laying of under ground pipeline, cable and duct:

Provided that the competent authority shall not acquire any right of user under this sub-section without giving to the occupier thereof at least forty eight hours notice of its intention so to do, or such longer notice as may be reasonably sufficient to enable such occupier to remove his movable property from such land without unnecessary inconvenience.

(2) In the case of any land to which in the opinion of the State Government the provision of sub-section (1) are applicable, the State Government may direct that the provisions of sub-section (4), (5) and (6) of Section 3, shall not apply and if it so directs, a declaration may be made under section 4 in respect of the land at any time after the date of the publication of the notification under section 3.

(3) In every case under sub-section (1), the competent authority shall at the time of taking possession of such land in which the right of user in land is acquired, offer to the persons affected compensation for the standing crops and trees (if any) on such land and for any other damage caused by such sudden dispossession and in case such offer is not accepted, the value of such crops and trees and the amount of such other damages shall be allowed for in awarding compensation for the land under the relevant provisions.

(4) Before taking possession of such land in which the right of user in land is acquired under sub-section (1) the competent authority shall, without prejudice to the provision of sub-section (3), tender payment of eighty per centum of the compensation for such land as estimated by the competent authority to the person interested and entitled thereto.

(5) The amount paid or deposited under sub-section (4), shall be taken into account for determining the amount of compensation required to be tendered under section 8 and where the amount so paid or deposited exceeds the compensation awarded by the competent authority under section 8, the excess may, unless refunded within three months from the date of competent authority's award, be recovered as an arrear of land revenue.

Competent Authority to have certain powers of civil court.

14. The competent authority shall have for the purpose of this Act, all the powers of a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 5 of 1908) in respect of the following matters, namely:—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) receiving of evidence on affidavits;

(d) requisitioning any public record from any court or office;

(e) issuing commission for examination of witnesses.

Protection of action taken in good faith.

15. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is done or intended to be done in good faith in pursuance of this Act or any rule or notification made or issued thereunder.

Penalty.

16. Whoever willfully obstructs any person in doing any of the acts authorised under section 5, section 6 or section 9 or willfully fills up, destroys, damages or displaces any trench or mark made under section 5, or willfully removes, damages or destroys the underground pipeline, cable and duct laid under section 6 or willfully does any act prohibited under section 7 shall be punishable with simple imprisonment which may extend to one month or with fine not exceeding rupees five thousand or with both.

Power to make rules.

17. (1) The State Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act;

(2) All rules made under this Act shall be laid on the table of the Vidhan Sabha and shall be subject to such modification as the Vidhan Sabha may make.

Power to remove difficulties.

18. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by an order published in the official Gazette, makes such provision or give such directions not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

Repeal and saving.

19. (1) The Madhya Pradesh Bhumigat Pipeline, Cable Evam Duct (Bhumi ki Upyokta ke Adhikaron ka Arjan) Adhyadesh, 2012 (No.7 of 2012) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.